FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

भैरूनाथ खेड़ा खूंट बनाम तिलक

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 105/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/03/24	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री (1) ~~श्रीमती~~ भैरूनाथ खेड़ा खूंट ग्राम सेगवा जरिये पुजारी कैलाश गाडरी R/o सेगवा (2) किशन पिता स्व. कैलाशचन्द्र शर्मा ~~पिता श्री~~ R/o सेगवा ग.प. सेमलिया जरिए (सरपंच) प. सेमलिया निवासी– ..... तहसील व जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम सेगवा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 210/0.28 466/0.14 कुल कीता 02 कुल रकबा 0.4200 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम सेगवा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 210/0.28, 466/0.14 कुल कीता 02 रकबा 0.4200 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रूपये अक्षरे पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner